



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1940 (३०)

(सं० पटना 1045) पटना, मंगलवार, 11 दिसम्बर 2018

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

7 दिसम्बर 2018

सं० IV/एम१-१-११/२०१७-४००८—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-०९ की उप-धारा (१) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, अनुसूची-१-ए के अनुच्छेद सं०-४५ के अधीन पैतृक/पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेख पर भुगतेय स्टाम्प ड्यूटी के रूप में रु. ५०/- (पचास रुपए) मात्र अवधारित करते हैं।

२. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

7 दिसम्बर 2018

सं० IV/एम१-१-११/२०१७-४००८—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (३) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 7th December 2018

No.- IV/M¹-1-11/2017-**4008**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the stamp duty payable on the partition deed of the Inherited/family Property under Article-45 of the Schedule-1-A.

2. It will come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1045-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>